

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 370] No. 370] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 2015/कार्तिक 25, 1937

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 2015/KARTIKA 25, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2015

फा. सं. पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) (संशोधन) विनियम, 2014 का संशोधन करने के लिए, कितपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं.पी. 15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई तारीख 5 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित किया गया था, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख तीस दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 5 फरवरी, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है:

अतः, अब खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद

4793 GI/2015 (1)

मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

विनियम

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) (संशोधन) विनियम, 2014 है ।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के परिशिष्ट क में, "खाद्य सहयोज्यों से संबन्धित सूची" में, सारणी 1 में, "ब्रैड और बिस्कुट में उपयोग के लिए खाद्य योजकों की सूची" से संबन्धित क्रम संख्या ख में मद 7 के सामने, स्तम्भ 4 से संबन्धित "-" चिन्ह के स्थान पर "जीएमपी" प्रविष्टि रखी जाएगी।

आशीष बहुगुणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./187-ओ/15(257)]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा किया गया:-

- (i) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013.
- (ii) फा.सं. पी.15014/1/2011-पीफए/एफ़एसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013.
- (iii) फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013.
- (iv) फा.सं. पी 15025/262/2013-पीए/एफ़एसएसएआई , तारीख 5 दिसम्बर, 2014.
- (v) फा.सं.1-83एफ़/एससीआई पैन–नोटी/एफ़एसएसएआई 2012, तारीख 17 फरवरी, 2015.
- (vi) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015.
- (vii) फा.सं. पी 15025/263/13-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015.
- (viii) फा.सं. पी 15025/264/13-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2015

F. No. P.15025/261/2013-PA/FSSAI.—Whereas the draft Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) (Amendment) Regulations, 2014, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No P. 15025/261/2013-

PA/FSSAI dated 5th December, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 5^{th} February, 2015;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:—

Regulations

- 1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their final notification in the Official Gazette.
- 2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in Appendix A, relating to "list of food additives", in Table 1 relating to List of food Additives for use in bread and biscuits, in serial number B, against item 7, relating to column 4, for the symbol "-", the letters "GMP" shall be substituted.

ASHISH BAHUGUNA, Chief Executive Officer

[ADVT-III/4/Exty./187-O/15(257)]

Note:-The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F.No: 2-15015/30/2010 dated the 1st August, 2010 and subsequently amended vide notification numbers:

- (i) F.No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013.
- (ii) F.No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013.
- (iii) F.No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013.
- (iv) F.No. P15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5th December, 2014.
- (v) F.No. 1-83F/SciPan-Noti/FSSAI-2012, dated 17th February, 2015.
- (vi) F.No. 4/15015/30/2011, dated 4th August, 2015.
- (vii) F.No P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015.
- (viii) F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015.